न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 44/2025

अनवान :

राजकुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
2. सतीश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
3. रामनिवास पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
4. कमला पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरजीत बिजारणिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 82/174 के ख0सं0 136 की 5.400 है0 बारानी, ख0सं0 150/2 की 2.782 है0 बारानी कुल 8.182 में प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के नाम 1/6 हिस्सा, रोही मौजा अलायला के खाता संख्या 9/95 के खसरा संख्या 15/1 की 5.058 है0 बारानी व खसरा संख्या 169 की 10.079 है0 बारानी, खसरा संख्या 182/1 की 2.782 है0 बारानी, खसरा संख्या 209 की 5.375 है0 बारानी, खसरा संख्या 210/2 की 3.920 है0 बारानी, खसरा संख्या 270/2 की 0.620 है0 बारानी व खसरा संख्या 271 की 5.893 है0 बारानी कुल 33.727 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या रामसिंह के नाम 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा अलायला के खाता संख्या 95/85 के खसरा संख्या 135 की 2.883 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह का नाम कलमजन कर वादी राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 2 सतीश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 3 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 तथा 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28 ... को ... एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:15 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 44/2025

उनवान :

राजकुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
2. सतीश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
3. रामनिवास पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
4. कमला पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरजीत बिजारणिया **: वादी**

वकील श्री श्रवण कुमार **: प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 28.03.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 82/174 के ख0सं0 136 की 5.400 है0 बारानी, ख0सं0 150/2 की 2.782 है0 बारानी कुल 8.182 में प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के नाम 1/6 हिस्सा, रोही मौजा अलायला के खाता संख्या 9/95 के खसरा संख्या 15/1 की 5.058 है0 बारानी व खसरा संख्या 169 की 10.079 है0 बारानी, खसरा संख्या 182/1 की 2.782 है0 बारानी, खसरा संख्या 209 की 5.375 है0 बारानी, खसरा संख्या 210/2 की 3.920 है0 बारानी ,खसरा संख्या 270/2 की 0.620 है0 बारानी व खसरा संख्या 271 की 5.893 है0 बारानी कुल 33.727 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या रामसिंह के नाम 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा अलायला के खाता संख्या 95/85 के खसरा संख्या 135 की 2.883 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में राजकुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा अलायला खाता संख्या 82/174 सम्वत 2073—76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा अलायला खाता संख्या 9/95 सम्वत 2073—76 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा अलायला खाता संख्या 95/85 सम्वत 2073—76 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा अलायला खाता संख्या 102/106 सम्वत 2073—76 प्रदर्श [illegible] रोही मौजा अलायला खाता संख्या 178/174 सम्वत [illegible] संख्या 92/85 सम्वत 2073—76 प्रदर्श 5, जमाबंदी रोही मौजा अलायला [illegible] 2073—76 प्रदर्श 6, शपथ पत्र रामसिंह पुत्र बनवारीलाल बाबत [illegible] प्रदर्श 7, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अलायला प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:15 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा अलायला के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 8 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 82/174 के ख0सं0 136 की 5.400 है0 बारानी, ख0सं0 150/2 की 2.782 है0 बारानी कुल 8.182 में प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के नाम 1/6 हिस्सा, रोही मौजा अलायला के खाता संख्या 9/95 के खसरा संख्या 15/1 की 5.058 है0 बारानी व खसरा संख्या 169 की 10.079 है0 बारानी, खसरा संख्या 182/1 की 2.782 है0 बारानी, खसरा संख्या 209 की 5.375 है0 बारानी, खसरा संख्या 210/2 की 3.920 है0 बारानी, खसरा संख्या 270/2 की 0.620 है0 बारानी व खसरा संख्या 271 की 5.893 है0 बारानी कुल 33.727 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या रामसिंह के नाम 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा अलायला के खाता संख्या 95/85 के खसरा संख्या 135 की 2.883 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह का नाम कलमजन कर वादी राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 2 सतीश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 3 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 तथा 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 82/174 के ख0सं0 136 की 5.400 है0 बारानी, ख0सं0 150/2 की 2.782 है0 बारानी कुल 8.182 में प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के नाम 1/6 हिस्सा, रोही मौजा अलायला के खाता संख्या 9/95 के खसरा संख्या 15/1 की 5.058 है0 बारानी व खसरा संख्या 169 की 10.079 है0 बारानी, खसरा संख्या 182/1 की 2.782 है0 बारानी, खसरा संख्या 209 की 5.375 है0 बारानी, खसरा संख्या 210/2 की 3.920 है0 बारानी, खसरा संख्या 270/2 की 0.620 है0 बारानी व खसरा संख्या 271 की 5.893 है0 बारानी कुल 33.727 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या रामसिंह के नाम 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा अलायला के खाता संख्या 95/85 के खसरा संख्या 135 की 2.883 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 रामसिंह का नाम क़लमजन कर वादी राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 2 सतीश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 3 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 तथा 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:42:15 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner